



उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०
 (उत्तर प्रदेश सरकार का उपकरण)
 शक्ति भवन / शक्ति भवन विस्तार
 १४, अशोक मार्ग, लखनऊ - २२६ ००२
 CIN : U40101UP1980SGC005065

संख्या : २१४/मा०सं०(०५)/उनिलि०/२०१६-०३(०१)-मा०सं०(०५)/२०१६

दिनांक : ०९ फरवरी, २०१६

कार्यालय ज्ञाप

पूर्ववर्ती राज्य विद्युत परिषद के विभिन्न संवर्गों के सेवकों को उनके सेवानिवृत्त उपरान्त भी पेन्शन के अतिरिक्त चिकित्सा भत्ता उस दर से भुगतान किये जाने के आदेश किये गये थे, जिस दर पर वह ठीक सेवानिवृत्ति के पूर्व प्राप्त कर रहे थे। इसी क्रम में पूर्व में परिषदादेश संख्या ५६५२-डब्ल्यू०सी०/राविप (३००सं० उल्लीस)८८-(१४) एफ/८६, दिनांक २८.०२.१९८९ द्वारा परिषद के समस्त सेवानिवृत्त कार्मिकों की चिकित्सा भत्ता की दरें निम्नवत पुनरीक्षित की गयी थी :-

पेन्शनर की श्रेणी	चिकित्सा भत्ते की दर
वे जो रु० १५००/- तक की मासिक पेन्शन आहरित करते हैं।	पेन्शन का ६ % किन्तु न्यूनतम रु० ३०/- और अधिकतम रु० ६०/-
वे जो रु० १५०१/- अथवा उससे अधिक की मासिक पेन्शन आहरित करते हैं।	पेन्शन का ४ % किन्तु न्यूनतम रु० ६०/- और अधिकतम रु० १००/-

- २- उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० में कार्यरत समस्त कार्मिकों को निगम के कार्यालय ज्ञाप संख्या १३५०/मा०सं०(०५)/उनिलि०/२०१५-३(९)-मा०सं०(०५)/२०१५ दिनांक २४ अगस्त, २०१५ द्वारा पुनरीक्षित वेतन संरचना में समान रूप से रु० २००/-प्रति माह की दर से समस्त कार्मिकों को समरूपता में चिकित्सा भत्ता अनुमन्य कराया गया है।
- ३- उपरोक्त के क्रम में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० के निदेशक मण्डल द्वारा कार्योत्तर अनुमोदन की प्रत्याशा में समस्त सेवानिवृत्त कार्मिकों जिन्हें पेन्शन की अनुमन्यता है, को भी उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि० से सेवानिवृत्त कार्मिकों की भाँति समान रूप से दिनांक ०४.०७.२०१५ से चिकित्सा भत्ता रु० २००/- प्रति माह की दर से सहर्ष अनुमन्य कराये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
- ४- कृपया सम्बन्धित पेन्शनरों को लदनुसार चिकित्सा भत्ते का भुगतान करना सुनिश्चित करायें।
- ५- उपरोक्त व्यय निगम के बजट के सम्बन्धित वित्तीय वर्ष के आय-व्ययक के नामे डाला जायेगा।

प्रबन्ध निदेशक

संख्या : २१५ (१) मा०सं०-०५/उनिलि०/२०१६ तददिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- १- प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, १४-अशोक मार्ग, लखनऊ के निजी संघिव।
- २- समस्त निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, १४-अशोक मार्ग, लखनऊ के निजी संघिव/स्टाफ आफीसर।
- ३- मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, अनपस/ओबरा/हरदुआगंज/पारीछा/पनकी तापीय परियोजना, सोनमढ़(सोनमढ़) / (कासिमपुर) अलीगढ़ / (पारीछा), झांसी / (पनकी) कानपुर।
- ४- महा प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, अनपस/ओबरा/हरदुआगंज/पारीछा/पनकी तापीय परियोजना, सोनमढ़(सोनमढ़) / (कासिमपुर) अलीगढ़ / (पारीछा), झांसी / (पनकी) कानपुर।
- ५- समर्त उप मुख्य लेखाधिकारी / लेखाधिकारी, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०।
- ६- सलाहकार (चिकित्सा), उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- ७- कम्पनी संघिव, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, नवाँ तल, लखनऊ।
- ८- मुख्य प्रबन्धक (वित्त एवं लेखा), उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- ९- अध्यक्ष, विद्युत पेन्शनरों परिषद, उ० प्र० १० लखनऊ, १०३, कीर्ति शिखर अपार्टमेन्ट, २२ ऑफ स्टेशन रोड, छितवापुर भुइयन, लखनऊ।
- १०- मुख्य परियोजना प्रबन्धक (प्रगति), उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, चतुर्थ तल, नवीन भवन, टीसी/बी-४६, शिवूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ को निगम की वेबसाइट www.uprvunl.org पर अपलोड करने हेतु।
- १२- कट फाईट

आज्ञा से,

(दिनेश कुमार शर्मा)
 अधिकारी अग्नियन्ता (मा०सं०-०५)